न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

रसद अपील :: 47 / 2017

अपीलाण्ट :-	बनाम	रेस्पोडेन्ट
मैसर्स केसाराम रामलाल उचित मूल्य दुकानदार वार्ड संख्या 1 से 7, सोजतरोड़ तहसील सोजत		सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, पाली

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न सामग्री एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976

उपस्थित :-

1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री कमल कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक

-:: निर्णय ::-

दिनांक 31/01/2019

अपीलाण्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न सामग्री एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया एवं विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर ही प्रदान नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट पर यह आरोप लगाया गया है कि एक ही आधार आई0डी0 का एक से अधिक राशन कार्डो में उपयोग करते हुए पॉश मशीन के माध्यम से गैर कानूनी ट्रान्जेक्शन सम्पादित कर 93.85 क्विटंल गेहूँ, 708 लीटर केरोसीन एवं 55.5 लीटर लेवी चीनी का गबन किया है, जबकि अपीलाण्ट को इस तरह का पहले नोटिस दिया गया, जिसका अपीलाण्ट ने जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें स्पष्ट लिखा कि दिनांक 28.02.2017 को निवेदन किया गया था कि पॉश मशीन में खराबियां आ रही है, नेट नहीं चल रहा है, प्रिन्ट में कमी आ रही है, दुबारा माल कम हो जाता है, समय बहुत लग रहा है, अन्त्योदय कार्ड को बी0पी0एल0 के हिस्से का गेहूँ मिल रहा है, आदि। ऐसा ही जवाब वार्ड संख्या 4 व 8 के दुकानदारों द्वारा भी दिनांक 17.03.2016 को प्रस्तुत किया है।, जिसकी रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत की है, जिस पर सभी दुकानदारों के हस्ताखर है। यदि अपीलाण्ट द्वारा गबन किया होता, तो प्रर्वतन निरीक्षक कृष्णा भाटी के कहने पर दिनांक 08.12.2016 को क्रय विक्रय सहकारी समिति की रीटेल शाखा व्यवस्थापक जोराराम को जो सामग्री स्थानान्तरित

अति० जिला कलेक्टर, पाली

की गई, उसमें भिन्नता आती, जो नहीं हुई। इस आधार पर भी अपीलाण्ट पर गलत आरोप लगाए गए है। अपीलाण्ट के विरूद्ध जो प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध हुई है, उसमें थानाधिकारी द्वारा प्रकरण झूठा मानते हुए अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त स्टॉक रजिस्टर एवं वितरण रजिस्टर में भी किसी तरह का गबन प्रमाणित नहीं होता है, इसके बावजदू भी अपीलाण्ट का अनुज्ञा पत्र निरस्त किया जाकर प्रतिभूति राशि समाहित करने का आदेश पारित किया गया है, जो खारिज योग्य है। पॉश मशीन बाबत जिले में किसी को भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। ए0पी0एल0, बी0पी0एल0, स्टेट बी0पी0एल0 के सदस्यों एवं खाद्य सुरक्षा की जानकारी हुई ग्राम सोजत रोड में तीन एफ.पी. एस. है। अपीलाण्ट की दुकान में किन – किन लोगों को खाद्य सामग्री वितरण करनी है, इस सम्बन्ध में पॉश मशीन को खोलने की मंशा से एक आधार कार्ड डालकर उसका उपयोग बतौर जांच हेतु किया, किन्तु तकनीकि त्रुटी के कारण उस मशीन में उस कार्ड के आधार पर वितरण बता दिया गया, जबकि अपीलाण्ट ने केवल जांच के तौर पर ही कार्ड का उपयोग किया गया है। इस प्रकार की वितरण व्यवस्था/त्रुटी सोजत तहसील के सभी उचित मूल्य दुकानदारों की शिकायत रही है, जिसको ब्लॉक कोर्डिनेटर व प्रवर्तन निरीक्षण कृष्णा कंवर भाटी ने स्वीकार किया है, फिर भी जैर अपील निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया एवं प्रतिभूति राशि समाहित की गई, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में कथन किया कि उचित मूल्य दुकानदार मैसर्स केसाराम पुत्र रामलाल द्वारा एक ही आधार आई0डी0 का उपयोग कर एक से अधिक राशन कार्डो की सामग्री पॉश मशीन के माध्यम से गैर कूननी ट्रान्जेक्शन सम्पादित किया गया एवं 93.85 क्विटंल गेहूँ, 708 लीटर केरोसीन एवं 55.5 किलो लेवी चीनी का गबन किया है, जो मातहत अदालत की पत्रावली में संलग्न ट्रान्जेक्शन रिपोर्ट–2 एवं उचित मूल्य दुकानदार कोड संख्या 15857 केसाराम रामलाल सोजतरोड की ट्रान्जेक्शन डीटेल, जो पत्रावली में संलग्न है, उससे भी विभिन्न माहों में एक ही आई0डी0 से एक से अधिक ट्रान्जेक्शन कर उचित मूल्य दुकान से सामग्री उठाया जाना स्पष्ट है। जिससे वह गबन का दोषी है। पुलिस द्वारा सम्बन्धित थाने में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो अनुसंधान किया गया है, वह एक से अधिक बार उपयोग में ली गई आई0 डी0 को दृष्टिगत रखते हुए नहीं किया गया है। ट्रान्जेक्शन रिपोर्ट ऑनलाईन होती है, जिसमें किसी प्रकार का हेरफेर नहीं होता है। उक्त ट्रान्जेशन की खाद्य विभाग जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 01.04.2016 से 31.08.2016 की समीक्षा में एक ही आधार कार्ड को एक से अधिक राशनकार्डो में उपयोग कर गैर कानूनी तरीके से किए गए ट्रान्जेक्शन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जांच करने पर यह गबन होना पाया गया, इस कारण अपीलाण्ट का अनुज्ञा पत्र निलम्बित किया गया। उचित मूल्य दुकानदार केसाराम रामलाल सोजतरोड द्वारा कुल 7 आधार कार्डो का उपयोग किया गया, जिसमें तीन आधार कार्ड केसाराम पुत्र रामलाल की पुत्रियों के है एवं चार अन्य व्यक्तियों के आधार कार्ड है। राशनकार्डो का आधार से लिंक विकास अधिकारी पंचायत समिति सोजत अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा किया जाता है, फिर भी उचित मूल्य दुकानदार द्वारा विकास अधिकारी की यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड चुराकार उसका दुरूपयोग करते हुए आधार कार्ड को लिंक किया गया, जो उसके नैतिक आचरण के विरूद्ध है। पुलिस द्वारा प्रकरण में दायर प्राथमिकी पर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का एक आधार यह भी है कि अतिरिक्त सामग्री नहीं पाई गई, किन्तु अपीलाण्ट द्वारा उक्त सामग्री पहले ही गबन कर दुकान से हटा दी गई थी। इस कारण अतिरिक्त सामग्री दुकान में नहीं मिली,

अति० जिला कलेक्टर, पाली

जो यह सिद्ध करता है कि अन्य आधार कार्ड से सामग्री उठाकर गबन किया गया है। वकी अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील पत्र में यह भी तर्क दिया कि अपीलाण्ट ने केवल जांच के तौर पर एक आई0डी0 का उपयोग किया एवं वितरण व्यवस्था में ऐसी त्रुटीयां होने बाबत सोजत तहसील के सभी दुकानदारों की शिकायत रही है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट सोजत तहसील के अन्य दुकानदारों से प्राप्त नहीं हुई है तथा बतौर जांच आधार कार्ड का उपयोग किया गया होता तो एक ही क्रम में 50 ट्रान्जेक्शन नहीं होते, जो ट्रान्जेक्शन रिपोर्ट–2 में अंकित है, जिससे अपीलाण्ट द्वारा गबन किया जाना प्रमाणित होता है। ट्रान्जेक्शन रिपोर्ट–2 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अन्य आधार कार्डो का उपयोग कर जिनसे उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पी0डी0एस0 के तहत दी जाने वाली वितरण सामग्री का गबन किया है, उन सभी का समय रात्रि का है। बहुत सारे ट्रान्जेक्शन रात्रि में 10 से 12 बजे के मध्य किए गए है, जो उचित मूल्य दुकान को खुली रखने का समय भी नहीं है। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा इरादतन रात्रि में गलत मंशा से गबन के उद्देश्य से राशन कार्ड से लिंक आधार कार्ड से भिन्न अन्य आधार कार्डो से यह ट्रान्जेक्शन सम्पादित कर विधि विरूद्ध कार्य किया है, जिससे उसका अनुज्ञा पत्र निलम्बित कर निरस्त किया गया है, जो न्यायोचित होने से अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। ट्रान्जेक्शन रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राशन कार्ड से लिंक आधार कार्डो के अलावा अन्य आधार कार्डो से सामग्री उठाने के उद्देश्य से किए गए समस्त ट्रान्जेक्शन का समय रात्रि 9 बजे के बाद किए गए, जबकि उचित मूल्य दुकान का समय प्रातः 9 बजे से सायः 5 बजे तक है। रात्रि में किए गए ट्रान्जेक्शन्स से यह प्रतीत होता है कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा गलत तरीके से अन्य आधार कार्डो को राशन कार्ड से लिंक कर उनका उपयोग कर सामग्री उठाई गई। जिन आधार कार्डो का उपयोग किया गया, उसमें आधार कार्ड धारी देव पुत्र प्रकाश भाटों का बास, सोजतरोड़, जिसके आधार संख्या 204683256960 है, जो 6 वर्ष का बालक है तथा अन्य आधार कार्डधारी नीतू, प्रतिभा एवं हर्षा, जिसमें आधार कार्ड संख्या क्रमशः 816144409076, 639362558422 व 586698330390 है, जो उचित मूल्य दुकानदार केसाराम की पुत्रियां है, जिनके नाम केसाराम के परिवार कार्ड संख्या 00587 में दर्ज है एवं उपरोक्त चारों आधार कार्डो को गलत तरीके से अन्य राशन कार्डो से लिंक कर पी0डी0एस0 के तहत वितरण की जाने वाली सामग्री उठा कर गबन किया जाना ट्रान्जेक्शन रिपोर्ट संख्या–2 से स्पष्ट है। जांच के उद्देश्य से यदि आधार कार्ड का उपयोग किया जाता, तो इतनी अधिक मात्रा में अलग अलग महिनों में अलग अलग आधार कार्ड से ट्रान्जेक्शन सम्पादित नहीं किए जाते। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि एफ.पी.एस. कोड संख्या 15857 केसाराम पुत्र रामलाल उचित मूल्य दुकानदार सोजतरोड़ की ट्रान्जेक्शन रिपोर्ट दिनांक 01.06.2016 से 30.06.2016 में क्रम संख्या 1, 2 व 7 से 53 एवं 59 से 74, 101, 102 पर आधार कार्ड संख्या 204683256960 का उपयोग किया गया, जो देव पुत्र प्रकाश, भाटों का बास, सोजत रोड के नाम से जारी है, जो 6 वर्ष का बालक है एवं क्रम संख्या 75 से 82 पर आधार कार्ड संख्या 586698330390 का उपयोग किया गया, जो उचित मूल्य दुकानदार रामलाल की पुत्री हर्षा के नाम से जारी है। इनसे विभिन्न राशनकार्डो की सामग्री उठाई गई। ट्रान्जेक्शन रिपोर्ट दिनांक 01.07.2016 से 31.07.2016 में क्रम संख्या 147, 150 से 198, 271 से 288, 292 से 321, 345 से 373 पर आधार कार्ड संख्या 549150330494 का उपयोग किया गया, जो अधार कार्ड अमित पुत्र नरोतम सोजतरोड के नाम से जारी है, जो बाहर निवास करता है

अति० जिला कलेक्टर, पाली

एवं क्रम संख्या 398 से 464 पर कार्ड संख्या 271525093198 का उपयोग किया गया, जो दीपक पुत्र सुरेश कुमार भाटो का बास, सोजतरोड के नाम से जारी है, जो बाहर निवास करता है। ट्रान्जेक्शन रिपोर्ट दिनांक 01.08.2016 से 30.08.2016 में क्रम संख्या 1 से 64 पर आधार कार्ड संख्या 816144409076 जो नीतू पुत्री केसाराम के नाम से जारी है, से सामग्री उठाई गई। आधार कार्ड संख्या 571521592393 जो हिमांशु पुत्र हंसराज गंगा पेट्रोल पम्प के पीछे, सोजत सिटी के नाम से जारी है, इस आधार कार्ड से क्रम संख्या 65 से 161 तक कि सामग्री उठाई गई, जिसमें आधार कार्ड धारकों के नाम अलग अलग है एवं राशनकार्ड भी अलग है। इस प्रकार ट्रान्जेक्शन रिपोर्ट–1 के अनुसार एफ.पी.एस. कोड संख्या 15857 केसाराम रामलाल उचित मूल्य दुकानदार सोजत रोड़ द्वारा आधार कार्ड संख्या 549150330494 से 132, आधार कार्ड संख्या 571521592393 से 97, आधार कार्ड संख्या 204683256960 से 69 एवं आधार कार्ड संख्या 271525093187 से 67, आधार कार्ड संख्या 816144409076 से 65 एवं आधार कार्ड संख्या 639362558422 से 2 तथा आधार कार्ड संख्या 586698330390 से 9 अन्य उपभोक्ताओं के राशन कार्डो के सम्बन्ध में उपयोग किया जाकर सामग्री का अवैध रूप से विक्रय कर उचित मूल्य दुकानदार द्वारा गबन किया जाना स्पष्ट है, अधिकतर ट्रान्जेक्शन माह जून, जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2016 में किए गए है, जो कई बार एवं सरकार द्वारा निर्धारित वितरण समय के बाद तथा रात्रि में भी किए गए, जो स्पष्टतया जानबूझकर एवं गबन की नियत से किए गए प्रतीत होतें है। जिससे अपीलाण्ट मेसर्स केसाराम रामलाल उचित मूल्य दुकानदार वार्ड संख्या 1 से 7 सोजतरोड़ द्वारा राजस्थान खाद्य एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 व 20 तथा प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 11, 17 व 18 का स्पष्ट उल्लंघन सिद्ध होता है। जिन राशनकार्डो की सामग्री का गलत आधार कार्ड के आधार पर सामग्री वितरण किया जाना अंकित किया, वह सामग्री वहां से उठा ली गई, इस कारण स्टॉक रजिस्टर में अंकित स्टॉक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। स्टॉक रजिस्टर में अंकित स्टॉक की मात्रा का सही होना, यह स्पष्ट नहीं करता कि अन्य आधार कार्डो को गलत रूप से लिंक कर राशनकार्डो की सामग्री का अवैध रूप से चोरी छिपे गलत मंशा से वितरण सामग्री उठाकर अवैधानिक कार्य नहीं किया गया है। थानाधिकारी पुलिस थाना सोजतरोड़ द्वारा जरिये पत्रांक/1326 दिनांक 12.04.2017 के द्वारा जिन बिन्दुओं पर जिला रसद अधिकारी पाली से सूचना मांगी गई है, एक भी बिन्दु जांच की सही दिशा को अंकित नहीं करता है, न ही अपनी जांच रिपोर्ट में प्रथम सूचना रिपोर्ट के पैरा संख्या 2 में उल्लेखित सात (7) आधार कार्डो के आधार पर किए गए गैर कानूनी ट्रान्जेक्शन का कानूनन सही होने बाबत प्रमाण का आधार उल्लेखित किया गया। जांच रिपोर्ट में विकास अधिकारी पंचायत समिति सोजत की यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड का उपयोग कर अन्य राशन कार्डो में आधार कार्डो को जोडने का अवैध रूप से अवैधानिक कार्य किसके द्वारा किया गया, इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। इस प्रकार दोनो बिन्दुओं को नजर अन्दाज कर अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है, जो किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। इसमें अनुसंधान अधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से जांच के बिन्दुओं एवं तथ्यों को नजर अन्दाज कर उचित मूल्य दुकानदार केसाराम को अनाधिकृत लाभ पहुँचाने की दृष्टि से अनुसंधान किया गया है। इस हेतु अनुसंधान अधिकारी भी भूमिका संदेहास्पद पाई जाती है, जिसके लिए जिला पुलिस अधीक्षक पाली को लिखा जावे, साथ ही जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त अन्तिम प्रतिवेदन के विरूद्ध सम्बन्धित न्यायालय में प्रसंज्ञान लेने बाबत कार्यवाही करें। उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि अपीलाण्ट द्वारा गैर कानूनी ट्रान्जेक्शन करने के

अति॰ जिला कलक्टर, पाली

कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित करते हुए निरस्त किया जाकर अपीलाण्ट की प्रतिभूति राशि समपहृत किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं जिला रसद अधिकारी द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 83/2016 सरकार बनाम मैसर्स केसाराम रामलाल उचित मूल्य दुकानदार वार्ड संख्या 1 से 7 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2017 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, पाली को आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं जिला रसद अधिकारी पाली को निर्णय की प्रति के साथ रेकर्ड आवश्यक कार्यवाही हेतु लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति.जिला कलेक्टर,पाली

यह आदेश आज दिनांक 31/01/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति.जिला कलेक्टर,पाली